



चित्रकूट-पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित “मिशन शक्ति अभियान-5”

“मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।
2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।
3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गईं।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायर्ड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलों के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगों से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदों/मनचलों को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री श्रीप्रकाश यादव के मार्गदर्शन में ३०नि० श्री सुभाष सिंह चौहान व उनकी टीम द्वारा वाद संख्या २८४/२०२२ धारा १२५ सीआरपीसी के वारंटी अभियुक्त प्रेमचन्द्र पुत्र बुद्ध निवासी केकरामार थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- १.३०नि० श्री सुभाष सिंह चौहान थाना मानिकपुर
- २.आरक्षी राजकुमार

(3). श्रीमान पुलिस महानिदेशक ३०प्र० के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी वेदान्त पाण्डेय तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री प्रभुनाथ यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट श्रीमती रेनू मिश्रा द्वारा आज दिनांक २९.११.२०२५ को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु०अ०सं० ३८८/२०२० धारा ३७७ आईपीसी व ६ पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त ननकू पाण्डेय उर्फ कृष्ण मुरारी पाण्डेय पुत्र रामदयाल पाण्डेय निवासी शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को २० वर्ष का कठोर कारावास व ५०००/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरण:-

दिनांक ०१.०८.२०२० को थाना कोतवाली कर्वी अन्तर्गत एक वादी द्वारा थाना कोतवाली कर्वी पर सूचना दिया गया कि अभियुक्त ननकू पाण्डेय उर्फ कृष्ण मुरारी उपरोक्त द्वारा वादी के लड़के उम्र ०८ वर्ष को लालच देकर दुष्कर्म किया। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु०अ०सं० ३८८/२०२० धारा ३७७ आईपीसी ६ पॉक्सो एक्ट बनाम उपरोक्त अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार पाण्डेय द्वारा सम्पादित की गई। विवेचक द्वारा दिनांक ०२.०८.२०२० को आरोपी को गिरफ्तार कर दिनांक २९.०८.२०२० को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक ३०प्र० के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री श्रीप्रकाश यादव एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय कुमार, प्रभारी मानिटरिंग सेल श्री प्रभुनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा आज दिनांक २९.११.०२५ को पैरवी हेतु मुख्यालय से चिन्हित थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु०अ०सं० १६१/२०१९ धारा ३७६ भा०द०वि० के आरोपी अभियुक्त

प्रदीप उर्फ पिन्टू पुत्र राम सुमेर यादव निवासी महुवापुर ऐलाहा बढ़ौया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 10 वर्ष का कारावास व 15000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.12.2019 को थाना मानिकपुर अंतर्गत निवासिनी एक वादिया द्वारा थाना मानिकपुर पर सूचना दी गयी थी कि अभियुक्त प्रदीप उर्फ पिन्टू उपरोक्त द्वारा हाथ खींचकर नीचे गिराकर जबरन बलात्कार करना। इस सूचना पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 161/2019 धारा 376 भा0द0वि0 बनाम प्रदीप उर्फ पिन्टू उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार मिश्रा द्वारा सम्पादित की गई थी। विवेचक द्वारा आरोपी को दिनांक 04.12.2019 को गिरफ्तार कर दिनांक 10.02.2020 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।